# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/30/2015

1. तेजसिंह पुत्र जयसिंहजी,
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र जयसिंहजी,
3. मोतीसिंह पुत्र जयसिंहजी,

   जातिगण रावत राजपूत निवासीगण गजनाई तहसील सोजत जिला पाली (राज.)
4. मृत्तक हरीसिंह पुत्र जयसिंहजी के कायम मुकाम :–

   4/1. अणचीदेवी बेवा हरीसिंहजी

   4/2. मांगुसिंह पुत्र हरीसिंहजी

   4/3. लिखमसिंह पुत्र हरीसिंहजी

   4/4. मीठुसिंह पुत्र हरीसिंहजी

   4/5. कानसिंह पुत्र हरीसिंहजी

   जातिगण रावत राजपूत निवासीगण गजनाई तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

..... अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**ब ना म**

1. हेमी बेवा पूनमसिंहजी
2. भगवानसिंह पुत्र पूनमसिंहजी
3. सज्जनसिंह पुत्र पूनमसिंहजी
4. सुरेन्द्रसिंह पुत्र पूनमसिंहजी
5. रणजीतसिंह पुत्र पूनमसिंहजी

   जातिगण रावत राजपूत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली (राज.)
6. तहसीलदार (भूमिधारी), सोजत जिला पाली (राज.)

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. श्री गजेन्द्र दवे, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 5

3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेण्ट संख्या 6

निर्णय दिनांक : 30/09/2021

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, सोजत केम्प गुड़ाबींजा द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद ग्राम गजनाई के खसरा नम्बर 114 रकबा 2.92 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में इस आशय का पेश किया था कि यह भूमि रेस्पोडेण्ट के खातेदारी की स्थित थी, जिसके पूर्व खसरा नम्बर 66 थे। उपरोक्त भूमि पर वादी/रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त लगातार था। वादी/रेस्पोडेण्ट के पिता का वर्ष 1987 में देहांत हो गया। प्रतिवादी/अपीलाण्ट वादीगण के पति/पिता पूनमसिंहजी के सगे भाई है, लेकिन उनका कोई हक, हिस्सा नहीं है, फिर भी बिना समक्ष अधिकारी के आदेश, बिना दस्तावेज के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 में 4/5 हिस्से का इन्द्राज करवा दिया, जो शून्य है। अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

2. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 28.05.2013 को जवाबदावा पेश किया और दिनांक 03.10.2013 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके जवाब हेतु पत्रावली लम्बित थी। दिनांक 22.12.2014 को उक्त आवेदन का जवाब पेश हुआ, पत्रावली उक्त आवेदन के बहस के लिए लम्बित थी, इसी दौरान प्रशासन गांवो के संग अभियान में पत्रावली को कोर्ट केम्प गुडाबींजा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेश होना बताकर बिना अपीलाण्ट/प्रतिवादी को नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, विधिक प्रावधानों को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये। इस कारण से न तो प्रकरण में तनकीयात कायम की गई, न ही वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश हुई, न ही प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश हुई, और बिना किसी विधिक प्रावधानों की पूर्ति किये पत्रावली को निर्णित कर दिया, जो अवैध और शून्यवृत निर्णय व डिक्री है। केम्प कोर्ट बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस कारण से केम्प कोर्ट और अभियान समाप्त होने के बाद पत्रावली की जानकारी की, तब दिनांक 04.08.2015 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, जिस पर नकले प्राप्त कर तुरन्त अपील पेश की है। इसलिए अपील अंदर म्याद शुमार की जावें और अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावें।

3. रेस्पोडेण्ट की ओर से विद्यवान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवो के संग अभियान में उक्त पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखी गई थी और केम्प कोर्ट में पत्रावली को अपीलाण्ट/प्रतिवादी उपस्थित नही होने से पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार वाद को निर्णित किया है, जिसमे कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित है, अपील विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिए खारिज की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

4. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के आवेदन की बहस के लिए लम्बित थी, इसी दौरान केम्प कोर्ट/लोक अदालत के अभियान चलाये गये, इस दौरान पत्रावली को केम्प कोर्ट गुडाबींजा में निर्णित किया गया है। उक्त पत्रावली में जवाबदावा पेश हो चुका था, लेकिन तनकीयात नहीं बनाई गई थी। विधिक रूप से किसी भी वाद में जवाबदावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम किया जाना आज्ञापक है। तनकीयात कायम होने के बाद वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्ष की साक्ष्य और बाद में प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य लिया जाना भी आज्ञापक प्रावधान है। तत्पश्चात् ही वाद को निर्णित किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में न तो तनकीयात कायम की गई है, न ही दोनों पक्षो की साक्ष्य ली गई है, सीधे ही केम्प कोर्ट में दावे और जवाबदावा के आधार पर वाद को निर्णित कर दिया है, जो न्यायोचित नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट/प्रतिवादी को केम्प कोर्ट बाबत् कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, इसलिए बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार कायम रखे जाने योग्य नहीं है। धारा 5 के संबंध मे आवेदन में किये गये सशपथ कथनों का रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में आवेदन को स्वीकार कर अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों अनुरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 निरस्त किये जाते है तथा पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर दोनों पक्षो को साक्ष्य का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए मैरिट पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30/09/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)